न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/एफ0टी0सी0, प्रथम, उन्नाव।

पीठासीन अधिकारी– (महेन्द्र कुमार सिंह), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – **UP01776**

UPUN010008912018

ST/93/2018
state Vs. Suresh Pal

राज्य उत्तर प्रदेश द्वारा (अपर) जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) उन्नाव।

.... अभियोजक।

प्रति

1. सुरेश पाल पुत्र रामऔतार निवासी सलारी खेड़ा थाना बॉगरमऊ, जिला उन्नाव।
....अभियुक्त।

मुकदमा अपराध संख्या–741/2017
धारा–376डी,494,323,506 भा0द0सं0
थाना–बॉगरमऊ, जनपद–उन्नाव।

घटना की तिथि व समय	**10.07.2013**
प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने की तिथि	**13.10.2017**
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की तिथि	**24.01.2018**
आरोप विरचित करने की तिथि	**03.05.2018**
साक्ष्य प्रारम्भ करने की तिथि	**03.07.2018**
निर्णय सुरक्षित करने की तिथि	**05.08.2026**
निर्णय की तिथि	**13.08.2026**
दण्डादेश की तिथि यदि कोई हो	–

क्र0 सं0	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की तिथि	जमानत पर रिहा होने की तिथि	आरोपित आरोप अन्तर्गत धारा	दोषसिद्धि या दोषमुक्त	दण्डादेश	धारा
1.	सुरेश पाल			376डी,494,323, 506 भा0द0सं0	दोषमुक्त		

अभियोजन/बचाव/अदालत के गवाहो की सूची

अ– अभियोजन के गवाह

नाम	साक्ष्य की प्रकृति(चछुदर्शी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सक साक्षी, पंचनामा साक्षी अन्य)
पीड़िता/वादिनी मुकदमा	पी0डब्लू0–1
हरिराम पाल	पी0डब्लू0–2
से0नि0एस0आई0 करूणा शंकर दुबे	पी0डब्लू0–3
डा0 अनामिका सिंह	पी0डब्लू0–4

Digitally signed by MAHENDRA KUMAR SINGH
Date: 2026.08.13 16:27:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

हे0का0 नरेन्द्र सिंह	पी0डब्लू0–5
नि0 मो0 जावेद	पी0डब्लू0–6

<u>अभियोजन / बचाव / अदालत के प्रदर्शो की सूची</u>

क्रम संख्या	प्रदर्श संख्या	विवरण
1.	प्रदर्श क–1	प्रार्थना–पत्र
2.	प्रदर्श क–2	बयान 161 सीआर0पी0सी0
3.	प्रदर्श क–3	बयान 164 सीआर0पी0सी0
4.	प्रदर्श क–4	जी0डी0
5.	प्रदर्श क–5	मेडिकोलीगल रिपोर्ट
6.	प्रदर्श क–6	सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट
7.	प्रदर्श क–7	पैथोलाजी फार्म
8.	प्रदर्श क–8	एफ0आई0आर0
9.	प्रदर्श क–9	नक्शा नजरी
10.	प्रदर्श क–10	गिरफ्तारी मोमो
11.	प्रदर्श क–11	आरोप–पत्र

ब– <u>बचाव पक्ष की ओर से सफाई साक्ष्य में प्रस्तुत किए गए दस्तावेज</u>

क्र0 सं0	सूची 32ख से
1	मु0नं0 681/13 धारा 498ए, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के दावे की कॉपी।
2	मु0सं0 1069/2014 धारा 125 सीआर0पी0सी0 के दावे की कॉपी
3	अ0सं0 357/2015 धारा 498ए, 323 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट एफ0आई0आर0 की कॉपी
4	अ0सं0 443/2021 धारा 195,395,420 भा0दं0सं0 थाना अजगैन की एफ0आई0आर0 कॉपी
5	अ0सं0 48/2020 धारा 115,279,337,376डी,386,388,506 भा0दं0सं0 की एफ0आई0आर0 की कॉपी

<u>निर्णय (दिनांक 13.08.2026)</u>

1– सत्र परीक्षण सं0–93/2018, थाना बॉगरमऊ जिला उन्नाव की पुलिस द्वारा अभियुक्त सुरेश पाल के विरूद्ध मुकदमा अपराध सं0–741/2017 में धारा–376डी,494,420,323,506 भा0द0सं0 के अर्न्तगत प्रेषित आरोप–पत्र पर मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0–1, उन्नाव द्वारा दिनांक 08.02.2018 को सत्र सुपुर्द किये जाने के पश्चात संस्थित हुआ है।

2– माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **दिनेश उर्फ बुद्घा बनाम राजस्थान राज्य डी०एन०आर० 206 सुप्रीम कोर्ट 2012 व प्रेमिया बनाम राजस्थान राज्य 2008 (63)ए0सी0सी0 94(एस०सी०)** में दिए संप्रेषण के अनुसार इस निर्णय में पीड़िता का नाम

निर्दिष्ट नहीं किया गया है। इस निर्णय में ''पीड़िता'' के नाम के स्थान पर मात्र ''पीड़िता'' शब्द प्रयुक्त किया जाएगा '।

3– संक्षेप में उक्त सत्र मामले से सम्बन्धित अभियोजन कथानक इस प्रकार है–

वादिनी/पीड़िता द्वारा तहरीर **प्रदर्श क–1** दिनांकित–05.10.2017 इस आशय की प्रस्तुत किया गया था कि सुरेश पाल की पहली पत्नी की मृत्यु हो चुकी है, जबकि पहली पत्नी रमाकान्ती आज भी जीवित है और सकहन गांव अपने मायके में रह रही है। सुरेश पाल ने खुद भा० न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत कर लिखित बयान दिया है कि सकहन गांय की रमाकान्ती से शादी किया था। रमाकान्ती से चल रहे विवाद का मुकदमा मा० न्यायालय में चलता रहा। दौरान मुकदमा बिहार राज्य की एक लडकी सुनीता को भगा लाया और काफी समय तक उसके जिस्म से खेलता रहा और बाद में सुनीता को जहर देकर मार डाला था। उसके बाद हैवान, अय्याश सुरेश पाल पुत्र रामऔतार निवासी ग्राम सलारीखेड़ा, थाना कोतवाली बांगरमऊ जिला उन्नाव ने पहली पत्नी को मृत दर्शाकर दूसरी शादी की और फिर मामा से सेटिंग कर दिनांक 10.12. 2012 को प्रार्थिनी पीड़िता के घर वालों को झांसा देकर धोखाधड़ी से तीसरी शादी भी रचा ली। शादी के बाद प्रार्थिनी को मालूम हुआ कि सुरेश पूर्व में भी रमाकान्ती व सुनीता से शादी कर चुका है। महज हवस मिटाने के लिए प्रार्थिनी को शिकार बनाया है। प्रार्थिनी शादी के 08 माह ही ससुराल में रह पाई। इन दिनों में ही पति सुरेश ने हैवानियत की हदे पार करते हुए लगातार प्रताड़ित किया। दिनांक 10.07.2013 को समय रात से 11 बजे प्रार्थिनी अपनी ससुराल के घर पर अकेली थी। उसी समय सुरेश अपने दो अज्ञात दोस्तों के साथ घर पर आया और दरवाजे की कुंडी खटखटाई। प्रार्थिनी ने दरवाजा खोला तो सभी लोग अंदर आ गए। प्रार्थिनी खाना खिलाने के लिए रसोई में गई तो सुरेश पीछे से रसोई में आ गए और प्रार्थिनी से कहने लगे कि आज रात तुमको मेरे दोस्तों के साथ सोना है तो प्रार्थिनी ने इस बात का विरोध किया तो सुरेश ने कई तमाचे मार दिए और अपने दोस्तों की मदद से प्रार्थिनी को जबरियन कमरे में उठा ले गए और तखत पर गिरा दिया। प्रार्थिनी के सारे कपड़े फाड़ दिए। पहले सुरेश ने प्रार्थिनी के साथ जबरियन दुष्कर्म किया फिर उसके बाद बारी–बारी से इनके दोनो दोस्त प्रार्थिनी की कनपटी पर तमंचा लगाकर पूरी रात प्रार्थिनी के साथ दुष्कर्म करते रहे। तड़के सुबह प्रार्थिनी जब घर से जान बचाने के लिए भागी तो सुरेश ने पकड़ लिया और गिराकर बुरी तरह मारा–पीटा और हत्या करने के लिए प्रार्थिनी को सुरेश व उसके दोस्तों ने डाई पिला दी थी। प्रार्थिनी मरणासन्न हो गयी। किसी तरह से प्रार्थिनी के मायके वालों को सूचना मिली तो प्रार्थिनी के मायके वाले ग्राम सलारीखेड़ा आ गए और सास–ससुर भी आ गए। सास–ससुर ने प्रार्थिनी के मां–बाप से हाथ–पैर जोड़े। कहाकि पुलिस केस मत करो हम तुम्हारी लड़की का इलाज करा कर ठीक करा

देंगे। सास–ससुर ने किसी डाक्टर को बुलाकर प्रार्थिनी का इलाज कराया। लोक–लज्जा व शर्म के कारण प्रार्थिनी ने मुकदमा दर्ज नहीं कराया था लेकिन जब प्रार्थिनी अपने मायके जाने लगी तो सुरेश अपने दोनो दोस्तों के साथ तमंचा लेकर खड़े हो गए और कहा कि साली अगर घर से बाहर कदम निकाला तो गोली मार देंगे। किसी तरह से जान बचाकर प्रार्थिनी मायके आ गई और तब से प्रार्थिनी मायके में ही रह रही है। हवस का पुजारी अय्याश सुरेश ने पहाड़पुर, भौली थाना अजगैन जिला उन्नाव की कमला से शादी कर ली है। मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थिनी लगातार प्रार्थना पत्र देती रही है लेकिन अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। जानमाल का खतरा बना हुआ है। सुरेश किसी भी समय प्रार्थिनी की हत्या कर सकता है। सुरेश के खिलाफ रिपोर्ट लिखकर जेल भेजने के साथ मायके में रह रही प्रार्थिनी को न्याय दिलाने की कृपा करें।

4– वादिनी/पीड़िता के उक्त तहरीर प्रदर्श क–1 के आधार पर दिनांक 13. 10.2017 को मुकदमा अपराध सं0–741/2017 अर्न्तगत धारा–420,376डी,494,323,506 भा0द0सं0 के रूप में प्राथमिकी प्रदर्श क–08 अंकित की गयी जिसका खुलासा थाना बॉगरमऊ, उन्नाव की जी0डी0 में किया गया। जी0डी0 पर प्रदर्श क–4 डाला गया। उपलब्ध साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त सुरेश पाल के विरूद्ध धारा–420,376डी,494,323,506 भा0द0सं0 के अर्न्तगत आरोप–पत्र प्रेषित किया गया।

5– उपरोक्त मामले से सम्बन्धित अपराध का संज्ञान लेते हुए मामला अनन्य रूप से सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय होने के कारण इस वाद की पत्रावली को तत्कालीन अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कोर्ट सं0–1, उन्नाव ने दिनांक 08.02.2018 को विचारण हेतु माननीय सत्र न्यायालय को सुपुर्द कर दिया।

6– सत्र न्यायालय द्वारा अभियुक्त सुरेश पाल के विरूद्ध उपरोक्त विवेचना के आधार पर धारा 420 भा0दं0सं0 का होना न पाते हुए उसका लोप किया गया तथा धारा– 376डी,494,323,506 भा0द0सं0 का आरोप दिनांक 03.05.2018 को विरचित किया गया आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाया व समझाया गया। अभियुक्त ने आरोप से इंकार किया और विचारण की मांग की।

<u>अभियोजन साक्ष्य</u>

7– सत्र परीक्षण सं0 93/2018 से सम्बन्धित अभियोजन साक्ष्य के अनुक्रम में अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध लगाये गये आरोपों को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य के रूप में निम्नलिखित साक्षीगण को परीक्षित कराया गयाः–

क्रम संख्या	**अभियोजन साक्षी संख्या**	**साक्षी का नाम**	**अभियोजन कथानक में भूमिका/साक्षी की प्रकृति**
1	पी0डब्लू0–1	पीड़िता/वादिनी मुकदमा	(वादिनी मुकदमा)/तथ्य की साक्षी

2	पी0डब्लू0–2	हरिराम पाल	तथ्य की साक्षी
3	पी0डब्लू0–3	से0नि0एस0आई0 करूणा शंकर दुबे	औपचारिक साक्षी
4	पी0डब्लू0–4	डा0 अनामिका सिंह	औपचारिक साक्षी
5	पी0डब्लू0–5	हे0का0 नरेन्द्र सिंह	औपचारिक साक्षी
6	पी0डब्लू0–6	नि0 मो0 जावेद	औपचारिक साक्षी

8– अभियोजन की ओर से साक्षी पी0डब्लू0 1 वादिनी मुकदमा/पीड़िता ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि ''हाजिर अदालत अभियुक्त सुरेश पुत्र रामऔतार निवासी सलारी खेड़ा, थाना बांगरमऊ, उन्नाव के साथ मेरा विवाह दिनांक 10.12.2012 को हुआ था। मैं छः महीने तक अपनी ससुराल में सुरेश के साथ रही। इस दौरान मुझे पता चला कि सुरेश ने मुझसे पहले भी दो शादी कर चुका है तो मैंने इसका विरोध किया कि तुमने मुझसे व मेरे पिताजी से ये बात क्यों छिपाई। इसी बात को लेकर सुरेश ने मुझे मारना–पीटना शुरू कर दिया और मेरे सम्बन्ध बिगड़ते गए। सम्बन्ध बिगड़ने के बाद सुरेश मेरी मर्जी के बिना मेरे साथ शारीरिक सम्बन्ध बनाता रहा। दिनांक 10.07.2013 को मैं अपनी ससुराल में अकेली थी। मेरे सा–ससुर घर पर मौजूद नहीं थे। मेरे पति उसी रात 11 बजे अपने दो दोस्तों के साथ घर पर आए तो मैं रसोई में खाना, परोसने के लिए गई तो मेरे पीछे से मेरे पति सुरेश मुझे खींचते हुए कमरे में ले गए और उनके दो दोस्त भी कमरे में आ गए। सुरेश ने मुझसे कहा कि आज तुम्हें मेरे दोस्तों के साथ सोना है। तो मैंने इस बात का विरोध किया तो मेरे पति व उनके दोनों दोस्तों ने मिलकर मेरे साथ बगैर मेरी मर्जी के बलात्कार किया। उसी सुबह लगभग 4 बजे मेरे पति सुरेश अपने दो दोस्तों की मदद से मुझे मार डालने की नीयत से डाई पिलाई, जिससे मेरी हालत बिगड़ गई। सुबह करीब 7 बजे जब मेरे सास–ससुर घर वापस आए तो मैंने उन्हें पूरी बात बताई। उन्होंने मेरा इलाज कराया। अभियुक्त सुरेश पाल ने अपनी पहली शादी ग्राम सकहन सराय थाना सफीपुर की रहने वाली रमाकान्ती पुत्री राम किशोर के साथ की थी। पहली पत्नी रमाकान्ती से सुरेश की मुकदमें बाजी भी हुई थी। अभियुक्त सुरेश पाल ने दूसरी शादी सुनीता नाम की लड़की जिसे वह बिहार से लाया था से की थी। जिसे मेरी जानकारी में आया था कि उसे जहर देकर मार डाला था।

तीसरी शादी मेरे साथ अपने को कुंवारा बनाते हुए झूठे तथ्यों के आधार पर मुझसे की थी। मैं अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट लिखाने थाना बांगरमऊ गई थी। मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई और कहा गया कि जाँच करने के बाद रिपोर्ट लिखी जाएगी। लेकिन मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। तब मैंने न्याय पाने के लिए पुलिस अधीक्षक उन्नाव को,

डी०एम० को, मुख्यमंत्री को और पुलिस महानिदेशक लखनऊ को प्रार्थना–पत्र दिया और प्रमुख सचिव गृह उ०प्र० शासन लखनऊ को भी प्रार्थना–पत्र दिया। तब उन्हीं के प्रार्थना–पत्र पर मेरी रिपोर्ट थाना बांगरमऊ में लगभग पाँच साल बाद पंजीकृत हुई। तहरीरी प्रार्थना–पत्र टाइपशुदा पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 4क/3 जो प्रमुख सचिव गृह उ०प्र० शासन लखनऊ को दिया था संलग्न है, जो साक्षी को दिखाया गया तथा पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि ये वहीं प्रार्थना–पत्र है जो मैंने घटना का हाल बताकर एक टाइप वाले से टाइप कराकर उस पर अपने हस्ताक्षर बनाकर दिया था। साक्षी ने उस पर बने अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–1 डाला गया। मुकदमा पंजीकृत होने के बाद बांगरमऊ की पुलिस ने मुझे थाने पर बुलाया था। थाना बांगरमऊ की पुलिस ने मेरा डाक्टरी परीक्षण बांगरमऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में कराया था तथा पुलिस ने मेरा थाना कार्यालय में बयान भी लिया था। मेरा बयान महिला कांस्टेबिल कु० रेखा वर्मा द्वारा लिखा गया था। मेरे बयान की पुलिस ने सी०डी० भी बनाई थी, जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 6क/1 में पैक है। बयान साक्षी 161 सी०आर०पी०सी० पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 9क/1 साक्षी को दिखाया गया तथा पढ़कर सुनाया गया कि ये मेरा वही 161 का बयान है जो मैंने दरोगा जी को दिया था तथा महिला कांस्टेबिल रेखा वर्मा द्वारा लिखा गया था। साक्षी ने अपने बयान 161 सी०आर०पी०सी० के प्रपत्र पर अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। थाना बांगरमऊ की पुलिस ने मेरा बयान मजिस्ट्रेट साहब के सामने भी कराया था। बयान पीड़िता 164 सी०आर०पी०सी० का सील बन्द लिफाफा माननीय न्यायालय की अनुमति से खोला गया जिसे पीड़िता/साक्षी को दिलाया गया तथा पढ़कर सुनाया गया तो साक्षी ने कहा कि ये वही मेरा बयान है जो मैंने बिना किसी जोर दबाव के अपनी स्वेच्छा से मजिस्ट्रेट साहब को दिया था। साक्षी ने बयान 164 सी०आर०पी०सी० पर लगी अपनी फोटो व अपने हस्ताक्षर की पुष्टि की जो पत्रावली में संलग्न कागज संख्या 5क है, जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया। अभियुक्त सुरेश पाल व उसके दोंनो दोस्तों ने डाई पिलाने के बाद मेरी कनपटी पर तमंचा लगाकर कहा था कि किसी को बताया तो जान से मार देंगे। अभियुक्त सुरेश पाल द्वारा चौथी शादी कमला पुत्री राम किशोर निवासी पहाड़पुर थाना अजगैन उन्नाव के साथ पुनः फिर कर ली है। अभियुक्त सुरेश पाल ने छल कपट करके तथ्य को छिपाकर मुझसे शादी की और सुरेश पाल व उसके दोनों दोस्तों ने मेरे साथ बिना मेरी मर्जी के बलात्कार किया।''

9– अभियोजन की ओर से साक्षी पी0डब्लू0 2 हरीराम पाल को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि ''मेरी बेटी का नाम पीड़िता है। पीड़िता की शादी मैने आज से लगभग 6–7 वर्ष पूर्व सुरेश पाल पुत्र

रामऔतार निवासी सलारीखेड़ा थाना बॉगरमऊ उन्नाव के साथ की थी शादी हिन्दू रीति रिवाज से किया था। लगभग शादी के 6–7 महीने बाद मुझे यह जानकारी हुई कि सुरेश पाल पहले से शादी शुदा है यह बात मुझें मेरी बेटी व गॉव वालों ने बताई थी। यह बात की जानकारी होने पर मैने सुरेश पाल से किया तुमने मेरे साथ धोखा दिया है उसके बाद मेरी लड़की से मारपीट करने लगे इसके बाद मेरी लड़की पीड़िता का सुरेश पाल से सम्बन्ध आपस में बिगड़ने लगे थे मुझें तारीख याद नहीं है कि उस दिन मेरी लड़की ससुराल में थी उस दिन उसके सास ससुर घर पर नहीं थे मेरी लड़की ने बताया कि सुरेश व उसके साथ दो लोग और थे आए और सुरेश व उसके दोनों दोस्तों ने मेरी लड़की को खीचकर अन्दर ले गए और बारी बारी से बलात्कार किया और मेरी लड़की को मारा पीटा तथा धमकाया तथा मार डालने के लिए धमकाया था। बाद में लड़की ने बताया कि जहर भी पिला दिया था। मैं पीड़िता की ससुराल गया था दरोगा जी ने मेरा बयान नहीं लिया था। मैं पीड़िता की ससुराल नहीं गया था।''

10— अभियोजन की ओर से साक्षी पी0डब्लू0 3 से0नि0एस0आई0 करूणा शंकर दुबे को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि ''मैं दिनांक 13.10.2017 को थाना बॉगरमऊ में हेड मोहर्रिर के पद पर तैनाता था। उसी दिन वादिनी पीड़िता के द्वारा दिया प्रार्थना–पत्र डाक के माध्यम से अधिकारीगण के आदेश पर मु0अ0सं0 741/2017 धारा 420,376डी,494,323,506 भा0दं0सं0 का पंजीकरण किया था, जिसका उल्लेख रोजनामचा आम दिनांक 13.10.2017 को ही रपट नं0 19 समय 10:20 पर पंजीकृत किया था, जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में हैं उसे मैं प्रमाणित करता हूँ। पत्रावली में संलग्न रपट जी0डी0 कागज सं0 5क/5 है, जिस पर प्रदर्श क–4 डाला गया है। मैं अपने लेख व हस्ताक्षर की पुष्टि करता हूँ।''

11— अभियोजन की ओर से साक्षी पी0डब्लू0 4 डा0 अनामिका सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि ''दिनांक 07.11.2017 को मैं चिकित्साधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बॉगरमऊ उन्नाव में कार्यरत थी। उसी दिन थाना बॉगरमऊ से महिला का0 रेखा वर्मा पीड़िता पुत्री हरिराम पाल नि0 ग्राम विश्राम खेड़ा मजरे व्योली डालामाबाद थाना बॉगरमऊ उन्नाव को मेडिकल परीक्षण हेतु मेरे समक्ष मय पुलिस प्रपत्र के साथ आई थी। मैने पीड़िता का मेडिकल परीक्षण दिनांक 07.11.2017 समय 01:45 पी0एम0 पर शुरू किया था। उसकी पिछली माहवरी 23.10.2017 बतायी थी। पीड़िता विवाहित थी, किन्तु बच्चे नहीं थे।

सामान्य परीक्षणः– पीड़िता पूरे होशों हवाश में थी। उसकी मानसिक स्थिति सामान्य

थी। उसकी नाड़ी की गति 72 प्रति मिनट थी। रक्त चाप 120/80 एम0एम0/एच0जी0 वजन 38 कि0ग्रा0 लम्बाई 150 से0मी0 पीड़िता की कॉख व गुप्तांग के बाल उपस्थित थे, जो मोटे व काले थे। स्तन विकसित थे।

आन्तरिक परीक्षिणः– हाइमन रफ (Rough Torn Healed) पीड़िता के शरीर पर वाह्य व आंतरिक चोट के निशान नहीं थे। पीड़िता के रिपोर्ट हेतु दो वैजाईनल स्मियर स्लाईड तैयार की थी। पीड़िता का मेडिकल उसी दिन समय 02:00 पी0एम0 पर समाप्त किया था। पत्रावली में संलग्न कागज सं0 6क/4 मेडिकोलीगल रिपोर्ट पीड़िता पत्रावली में संलग्न है, जिस पर पीड़िता का निशानी अंगूठा लगा है जो मेरे द्वारा प्रमाणित है। मेडिकल रिपोर्ट मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया एवं पत्रावली में संलग्न कागज सं0 6क/5 सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है। पैथोलॉली रिपोर्ट के अनुसार पीड़िता के वैजाईनल अथवा सवीईकल स्मिय में कोई जिन्दा या मृत मानव शुक्राणु नहीं पाए गए बलात्कार के सम्बन्ध में कोई निश्चित राय नहीं दी जा सकती है। सप्लीमेन्ट्री रिपोर्ट दिनांक 11.11.2017 मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर प्रदर्श क–6 डाला गया। पत्रावली में संलग्न कागज सं0 6क/2 पैथोलाजी फार्म जो मेरे लेख व हस्ताक्षर में है, जिस पर पीड़िता का निशानी अंगूठा लगा है, जो मेरे द्वारा प्रमाणित है, जिस पर प्रदर्श क–7 डाला गया।''

12– अभियोजन की ओर से साक्षी पी0डब्लू0 5 हे0का0 नरेन्द्र सिंह को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि ''दिनांक 13.10.2017 को मैं थाना बॉगरमऊ में सी0सी0टी0एन0एस0 के पद पर कार्यरत थे। उस दिन आवेदिका पीड़िता पुत्री हरिराम पाल नि0 विश्राम खेड़ा थाना बॉगरमऊ उन्नाव द्वारा प्रमुख सचिव गृह उ0प्र0 शासन लखनऊ को दिए गए प्रा0पत्र की प्रति व आदेश डाक पैड से थाना कार्यालय को प्राप्त हुए। प्रभारी निरीक्षक के निर्देश पर हे0का0 करूणा शंकर दुबे द्वारा जी0डी0 सं0 19 दिनांक 13.10.2017 समय 10:20 बजे मु0अ0सं0 741/17 धारा 420, 376डी, 494, 323, 506 भा0दं0सं0 का अंकित किया गया। तहरीर मेरे द्वार सुरेश पाल व दो अन्य अभियुक्तों के विरूद्ध अंकित कम्प्यूटर पर शब्द बशब्द अक्षरशः किया गया। चिक एफ0आई0आर0 अ0सं0 741/2017 पत्रावली में कागज सं0 5क/1 लगायत 5क/2 शामिल है, जो थाने से प्रमाणित है, जिसे साक्षी ने देखकर पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–8 डाला गया। विवेचक ने मेरे बयान लिए थे''

13– अभियोजन की ओर से साक्षी पी0डब्लू0 6 नि0 मो0 जावेद को परीक्षित कराया गया है। इस साक्षी ने मुख्य परीक्षा में सशपथ बयान किया है कि ''दिनांक 13. 10.2017 को मैं थाना बॉगरमऊ में बतौर एस0आई0 नियुक्त था। सी0डी0 पर्चा सं0 1 किता कर नकल एफ0आई0आर0 नकल जी0डी0 व लेखक एफ0आई0आर0 एच0सी0पी0 करूणा शंकर दुबे के बयान अंकित किए थे व कम्प्यूटर पर नियुक्त का0 नरेन्द्र यादव

के बयान अंकित किए थे। सी0डी0 पर्चा 2 दिनांक 14.10.2017 किता कर पीड़िता के बयान लेने का प्रयास किया था, परन्तु वह घर पर मोजूद नहीं मिली थी। सी0डी0 पर्चा 3 दिनांक 16.10.2017 को वादिनी के बयान लेने का प्रयास किया, परन्तु दस्तयाब नहीं हुई। सी0डी0 पर्चा 4 दिनांक 18.10.2017 को किताकर बयान पीड़िता के अंकित किए जिसमें एफ0आई0आर0 से समर्थित बयान दिए थे। सी0डी0 पर्चा 5 दिनांक 25.10.2017 पीड़िता के पिता हरीराम पाल के बयान अंकत किए जिनके द्वारा घटना से समर्थित बयान दिए थे। उसी दिन वादिनी के पिता की निशानदेही पर घटना का नक्शा नजरी अपने हस्तलेख में तैयार किया था। पत्रावली पर मौजूद कागज सं0 8क को देखकर अपने लेख व हस्ताक्षर में होना स्वीकार कर पुष्टि की जिस पर प्रदर्श क–9 डाला गया। उसी दिन मुखबिर की निशानदेही पर अभि0 सुरेश को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी मेमो तैयार किया था। गिरफ्तारी मेमो को देखकर साक्षी ने अपने लेख में होना स्वीकार किया जिस पर प्रदर्श क–10 डाला गया। उसी दिन अभि0 सुरेश के बयान अंकित किए थे। सी0डी0 पर्चा 06 दिनांक 31.10.2017 को किता कर पीड़िता का 164 सीआर0पी0सी0 के बयान व मोडिकल कराये जाने के सम्बन्ध में प्रयास किए थे। सी0डी0 पर्चा 7 दिनांक 08.11.2017 को किता कर पीड़िता का 164 सीआर0पी0सी0 का बयान अंकित कराकर उसका अवलोकन नकल किया था। सी0डी0 पर्चा 8 दिनांक 16.11.2017 को किता कर पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त कर उसकी नकल की थी तथा दो अज्ञात लोगों की तलाश हेतु मुखबिर को सक्रिय किया था। सी0डी0 पर्चा 9 दिनांक 17.11.2017 को अज्ञात मुल्जिमों की तलाश व अभि0 सुरेश के रिमाण्ड की याचना की थी। सी0डी0 पर्चा 10 दिनांक 23.11.2017 को अज्ञात अभियुक्त की तलाश किया था। सी0डी0 पर्चा 11 दिनांक 04.12.2017 को विवेचना के क्रम में पीड़िता से जानकारी लेने का प्रयास किया था, परन्तु वह मिली नहीं थी। पिता हरीराम के बयान अंकित किए थे तथा मुखबिर को सक्रिय किया था। सी0डी0 पर्चा 12 दिनांक 15.12.2017 को अभि0 सुरेश की पूर्व पत्नी के गॉव सराए सकहन जाकर रामकली पाल के बारे में जानकारी प्राप्त की थी व उसका उल्लेख सी0डी0 में किया था। सी0डी0 पर्चा 13 दिनांक 24.12.2017 किता कर साक्षी राम आसरे व उसकी पत्नी का बयान अंकित किया था। सी0डी0 पर्चा 14 दिनांक 02.01.2018 को किता कर साक्षी कमला के बयान अंकित किए उसने सुरेश की तीसरी पत्नी होना स्वीकार किया तथा अज्ञात अभियुक्तों की जानकारी का प्रयास किया था। सी0डी0 पर्चा सं0 15 दिनांक 09.01.2018 किता कर रामआसरे की दूसरी पत्नी का बयान अंकित किया था तथा वादिनी पीड़िता के अन्य अज्ञात अभियुक्तों के बारे में जानकारी प्राप्त की, परन्तु कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाई अब तक की गई तमामी विवेचना अभि0 सुरेश पाल के विरूद्ध प्रथम दृष्टया धारा 420, 376डी, 494, 323, 506 भा0दं0सं0 के पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर

आरोप–पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया था तथा शेष अभियुक्तों की तलाश हेतु प्रयास जारी थे। शामिल पत्रावली 3क/1 लगायत 3क/5 आरोप पत्र को देखकर साक्षी ने अपने द्वारा प्रेषित किए जाने व उस पर बने अपने हस्ताक्षर पहचान कर पुष्टि की, जिस पर प्रदर्श क–11 डाला गया।

14– अभियोजन पक्ष का साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त के धारा 313 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत बयान दर्ज किये गये। धारा 313 द0प्र0सं0 के बयान में अभियुक्त ने अभियोजन कथानक के बारे बताया कि गलत है, उसने कुछ नही किया। पी0 डब्लू0 1, पी0डब्लू0 2, पी0डब्लू0 3, पी0डब्लू0–4, पी0डब्लू0–5 व पी0डब्लू0–6 द्वारा गलत बयान देना तथा झूॅठा रंजिश के कारण फसा दिया जाने का कथन किया है। मैं निर्दोष हूॅ तथा सफाई साक्ष्य प्रस्तुत करने का कथन किया। सूची 32ख से सफाई साक्ष्य के रूप में मु0नं0 681/13 धारा 498ए, 323, 504, 506 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट के दावे की कॉपी, मु0सं0 1069/2014 धारा 125 सीआर0पी0सी0 के दावे की कॉपी, अ0सं0 357/2015 धारा 498ए, 323 भा0दं0सं0 व 3/4 डी0पी0 एक्ट एफ0आई0आर0 की कॉपी, अ0सं0 443/2021 धारा 195,395,420 भा0दं0सं0 थाना अजगैन की एफ0आई0आर0 कॉपी, अ0सं0 48/2020 धारा 115,279,337,376डी,386,388,506 भा0दं0सं0 की एफ0आई0आर0 की कॉपी एवं अ0सं0 48/2020 धारा 115,279,337,376डी,386,388,506 भा0दं0सं0 की एफ0आई0आर0 की कॉपी दाखिल किए गए है तथा 34ख लिखित बयान सफाई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

15– अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्योपरान्त बहस के स्तर पर अभियुक्तगण को मय विद्वान अधिवक्ता तथा ए0डी0जी0सी0 दाण्डिक को सुना गया तथा समस्त पत्रावली का सम्यक अवलोकन, परिशीलन किया गया।

16– उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अंतिम बहस में तर्क प्रस्तुत किये गये– लोक अभियोजक की ओर से तर्क किया गया है कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त ने अभियुक्त सुरेश पाल का विवाह रमाकान्ती के साथ हुआ और उसके जीवित रहते हुए पीड़िता के साथ पुनः विवाह किया एवं अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर पीड़िता के साथ बलात्कार किया, उसे मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी, जिसके सम्बन्ध में दौरान विचारण साक्ष्य भी आया है। अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध साबित है तथा अभियुक्त को दण्डित किये जाने की याचना की गई।

17– अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस करते हुए तर्क किया गया कि अभियुक्त को झूंठा फसाया गया है। अभियोजन की ओर से अभियुक्त की पहली शादी के बाबत कोई भी साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है साथ ही सामूहिक बलात्कार का

आरोप लगाया गया है, परन्तु अन्य कथित अभियुक्तगण के विरूद्ध कोई भी आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा न तो मुकदमा वादिनी को मारा पीटा गया है और न ही जान से मारने की धमकी दी गई है। अतः अभियुक्त की ओर से दोषमुक्त किए जाने की याचना की है।

18– उभय–पक्ष की ओर से की गयी बहस के उपरान्त केस से सम्बन्धित विचारणीय प्रश्न निम्न प्रकार हैं–

क्या अभियुक्त सुरेश पाल द्वारा पहली पत्नी रमाकान्ती के जीवित रहते हुए पीड़िता के साथ पुनः विवाह किया गया है तथा अपने दो दोस्तो के साथ मिलकर पीड़िता के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, उसे मारा पीटा तथा जान से मारने की धमकी दी?

<u>साक्ष्य का विवेचन एवं निष्कर्ष</u>

19– प्रस्तुत मामले में अभियोजन पक्ष का अभियुक्त सुरेश पाल पर यह आरोप है कि अभियुक्त की पहली पत्नी की मृत्यु हो गई है और पहली पत्नी रमाकान्ती आज भी जीवित है। उसके जीवित रहते धोखा देकर पीड़िता के साथ अभियुक्त ने शादी की है और दिनांक 10.07.2013 की शाम को अभियुक्त अपने दो साथियों के साथ घर पर आया और जबरदस्ती मुकदमा वादिनी के साथ सामूहिक बलात्कार किया प्रार्थिनी के विरोध करने पर उसको मारापीटा, डाई पिला दी तथा जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके आधार पर अभियुक्त सुरेश पाल के विरूद्ध दिनांक 03.05.2018 को तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अन्तर्गत धारा 376डी, 494, 323, 506 भा0द0सं0 के अन्तर्गत आरोप विरचित किया गया है, जिसे युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का दायित्व अभियोजन पक्ष पर है।

20– अभियोजन की ओर से परीक्षित वादिनी मुकदमा ने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और जिरह में कहा है कि ''सुरेश पाल के माता–पिता घर पर ही रहते हैं फिर कहा कि अक्सर बाहर आते जाते हैं। सुरेश पाल के पिता की उम्र 65–70 वर्ष होगी। सुरेश के घर में कुल 4 लोग हैं। मैने सुरेश पर पहले भी मुकदमे लिखाए थे। सुरेश पाल का रमाकान्ती से तलाक हुआ है, लेकिन कब हुआ है मुझें नहीं मालूम। डाई पीने के बाद मैं अस्पताल में भर्ती नहीं हुई थी, सास–ससुर ने घर पर ही डाक्टर को बुलाकर इलाज कराया था। ससुराल में एक दिन इलाज हुआ उसके बाद मैं मायके गई थी। मेरे माता–पिता आए थे उनके साथ मायके गई थी।

21– अभियोजन की ओर से तथ्य के साक्षी पी0डब्लू0–2 के रूप में मुकदमा वादिनी के पिता हरिराम पाल को परीक्षित कराया गया है, जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में अभियोजन कथानक का समर्थन किया है और जिरह में कहा है कि इस मुकदमे में मेरी लड़की ने जो मुझें बताया वहीं मुझें मालूम है। लड़की की ससुराल शादी के समय गया

था। उसके बाद फिर नहीं गया।

मेरी लड़की ने अभी फरवरी 2020 में पॉच लोगों के खिलाफ गैंग रेप का मुकदमा लिखाया था। इसके पहले भी मेरी लड़की ने सुरेश पाल के विरूद्ध मुकदमा लिखाया था, जिसमें मैं गवाही देने आया हूॅ। लड़की के कहने व बताने पर ही अदालत में गवाही देने आया हूॅ। सुरेश पाल से मेरी लड़की से क्यों झगड़ा हुआ यह मुझें नहीं पता है यह सही है कि सुरेश पाल के माता–पिता से शादी के बाद कभी मुलाकात नहीं हुई है।

प्रस्तुत मामले में तथ्य के उपरोक्त दो साक्षियों के अतिरिक्त अभियोजन की ओर से तथ्य के किसी अन्य साक्षी को परीक्षित नहीं कराया गया है।

पी0डब्लू0–2 के रूप में प्रस्तुत किए गए वादिनी मुकदमा के पिता ने अपने साक्ष्य में वहीं कहा है जो उनकी बेटी ने उनसे बताया है। इससे यह स्पष्ट होता है कि इस साक्षी को घटना के बाबत कोई स्वतंत्र जानकारी नहीं है।

पी0डब्लू0–1 के रूप में परीक्षित मुकदमा वादिनी जिसके साथ कथित घटना घटी है ने अपने बयान में यह बताया है कि घटना के बाद मैं अपने मायके अपने माता–पिता के साथ गई थी, जबकि पी0डब्लू0–2 वादिनी के पिता ने अपनी जिरह में कहा है कि मैं शादी के बाद कभी अपनी बेटी के ससुराल नहीं गया। इससे यह परिलक्षित होता है कि वादिनी द्वारा दिनांक 10.07.2013 की घटना के बाद अपने माता पिता के साथ जाने के बाबत झूॅठा कथन किया गया है।

22– यहॉ यह तथ्य भी उल्लेखनीय है कि अभियुक्त के विरूद्ध धारा 494 भा0द0सं0 का आरोप विरचित किया गया है, परन्तु स्वयं वादिनी ने अपने साक्ष्य में कहा है कि रमाकान्ती से अभियुक्त का तलाक हो गया है तथा एक और पत्नी की मृत्यु हो चुकी है। ऐसी परिस्थिति में अभियुक्त के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 494 भा0द0सं0 अभियोजन संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

23– अभियुक्त के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 376डी भा0द0सं0 सामूहिक बलात्कार का आरोप विरचित किया गया है। सामूहिक बलात्कार का आरोप तब बनता है जब एक से अधिक व्यक्तियों द्वारा बलात्संग किया जाए। प्रस्तत मामले में यद्यपि की पीड़िता द्वारा सामूहिक बलात्कार किए जाने का कथन किया गया है, परन्तु अभियुक्त सुरेश पाल के अतिरिक्त अन्य कोई व्यक्ति न तो गिरफ्तार किया गया है और न ही अन्य किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई आरोप पत्र ही इस न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

प्रस्तुत मामले में धारा 376डी के तत्व अभियोजन द्वारा साबित नहीं किए जा सके हैं, क्योंकि अभियोजन की ओर से केवल एक अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है, जबकि धारा 376डी के लिए एक से अधिक व्यक्ति का होना आवश्यक है।

24– बचाव पक्ष की ओर से दौरान बहस यह तर्क लिया गया है कि मुकदमा

वादिनी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत मुकदमा किया गया है। कथित घटना के बाद भी वादिनी मुकदमा द्वारा विभिन्न न्यायालयों में अभियुक्त एवं अन्य के विरूद्ध कई मुकदमे दाखिल किए गए हैं, परन्तु उनमें से किसी भी मुकदमे में इस कथित घटना के बाबत कोई भी अंकन नहीं किया गया है, जिससे यह स्पष्ट है कि प्रस्तुत मुकदमा गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है।

बचाव पक्ष की ओर से किए गए उपरोक्त कथन के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य दाखिल किए गए है, जो पत्रावली में संलग्न है, जिनके अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि मुकदमा वादिनी द्वारा कथित घटना दिनांक 10.07.2013 के पश्चात् दिनांक 06.08. 2013 को अभियुक्त सुरेश पाल एवं अन्य के विरूद्ध एक परिवाद भा0द0सं0 की धारा 498ए व अन्य धाराओं में ए0सी0जे0एम0 प्रथम के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु उसमें इस कथित घटना का कोई अंकन नहीं है। इस परिवाद में यह अंकित है कि दिनांक 22.06.2013 को उसके ससुराल वाले उसे घर से भगा दिए।

उपरोक्त परिवाद के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि कथित घटना के दिन मुकदमा वादिनी घटनास्थल पर नहीं थी, क्योंकि उसके ससुराल वालों ने उसे घर से भगा दिया था।

इसी प्रकार मुकदमा वादिनी ने दिनांक 06.08.2013 को ही अन्तर्गत धारा 125 दं0प्र0सं0 एक मुकदमा अभियुक्त सुरेश पाल के विरूद्ध दाखिल किया है। इसमें भी कथित घटना दिनांकित 10.07.2013 का कोई अंकन नहीं किया गया है।

मुकदमा वादिनी द्वारा दिनांक 13.07.2015 को मुकदमा अपराध सं0 357/2015 अभियुक्त के घर वालों के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है। यह मुकदमा भी कथित घ टना दिनांकित 10.07.2013 के बाद पंजीकृत कराया गया है, परन्तु इसमें भी इस घटना का कोई जिक्र या अंकन नहीं किया गया है।

उपरोक्त दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन एवं परिशीलन से यह परिलक्षित होता है कि प्रस्तुत मामला गलत तथ्यों के आधार पर पंजीकृत कराया गया है, क्योंकि अगर प्रस्तुत मामले के तथ्यों में सच्चाई होती तो उसका अंकन वादिनी द्वारा अवश्य उन मामलों में किया जाता जो दिनांक 10.07.2013 के पश्चात् उसके द्वारा विभिन्न न्यायालयों में दाखिल किया गया है।

25— प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा अपने साथियों के साथ मिलकर पीड़िता को डाई पिलाने का कथन किया गया है। डाई एक कीटनाशक है, जो कि मनुष्य के शरीर में जाने पर जानलेवा साबित होता है और यदि व्यक्ति बच भी गया तो उसकी स्थिति काफी दिनों तक असामान्य रहती है, परन्तु प्रस्तुत प्रकरण में पीड़िता एक ही दिन में स्वस्थ्य होकर अपने मायके चले जाने का कथन करती है, जो कि वादिनी/पीड़िता के कथानक को संदिग्ध बनाता है।

उपरोक्त तथ्यों एवं विवेचना के आधार पर न्यायालय का मानना है कि मुकदमा वादिनी द्वारा प्रस्तुत प्रकरण गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है, जिसे अभियोजन अपने साक्ष्यों द्वारा संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है।

26— पत्रावली पर उपलब्ध समस्त तथ्यों व साक्ष्यों का विश्लेषण करने के पश्चात न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचा है कि अभियोजन पक्ष अभियोजन कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने में पूर्णरूप से असफल रहा है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित है। अभियुक्त सुरेश पाल को अन्तर्गत 376डी,494,323,506 भा0द0सं0 के अंतर्गत दण्डनीय अपराध से साक्ष्य के अभाव में तदनुसार दोषमुक्त किये जाने का आधार पर्याप्त है। अतः अभियुक्त सुरेश पाल उपरोक्त अपराधो में साक्ष्य के अभाव में दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

1— सत्र परीक्षण सं0—93/2018, अभियुक्त सुरेश पाल को अन्तर्गत 376डी,494,323,506 भा0द0सं0 थाना बॉगरमऊ जिला उन्नाव के अधीन दण्डनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

2— अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अतः अभियुक्त के बन्धपत्र एवं जमान तनामें निरस्त किये जाते है तथा जमानतदारों को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है।

3— अभियुक्त द्वारा धारा—437ए दं०प्र०सं० के अन्तर्गत मु०— 25000/रू० का बंध पत्र एवं समान धनराशि की एक जमानतनामा नियमानुसार दाखिल हो।

<u>दिनांक—13.08.2026</u>

(महेन्द्र कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0, उन्नाव।
JO Code: UP01776

निर्णय आज मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित करके खुले न्यायालय में उद्घोषित किया गया।

<u>दिनांक—13.08.2026</u>

(महेन्द्र कुमार सिंह)
अपर सत्र न्यायाधीश/
एफ0टी0सी0, उन्नाव।
JO Code: UP01776